

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की समस्याएं एवं चुनौतियां

रवीन्द्र कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय भतरौंजखान (अल्मोड़ा) उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा का स्तर देखा जाए तो वो भारत में अग्रणी स्थान रखता है। सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। सन् 2000 के बाद से राज्य में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षकों व प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। विकसित राज्यों में कम संस्थानों में बेहतर सुविधाएं देने का कार्य किया जाता है, एक संस्थान में हजारों शिक्षा ग्रहण करते हैं। उत्तराखण्ड में बिना बुनियादी सुविधाओं के सौ से ज्यादा महाविद्यालय चल रहे हैं। उत्तराखण्ड में भले ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक इंजीनियरिंग कालेज, प्रबंधन कालेज चल रहे हैं उनमें पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक तो हैं, परन्तु न उच्च गुणवत्ता के संसाधन मौजूद हैं, और न ही उचित पाठ्यक्रम है। निजी महाविद्यालय खोले तो गये हैं लेकिन वहां भी व्यापक अराजकता और अनुशासनहीनता नजर आती है, पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का अभाव मौजूद है। इनमें भवन, खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इंटरनेट योग्य शिक्षकों का अभाव देखा जा सकता है। उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा के ये हाल हैं कि विद्यार्थी मोटी फीस देकर उपाधि हासिल कर बेरोजगारों की पंक्तियां बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में जो विद्यार्थी स्नातक की उपाधि ले रहा है उसे न तो अपने विषय का ज्ञान है, न तो किसी तरह का कौशल न ही उसके व्यक्तित्व में आत्म-विश्वास नजर आता है। उत्तराखण्ड का आज के दौर में कोई भी उच्च संस्थान देश के शीर्ष 100 में भी शामिल नहीं है। जबकि छोटे-छोटे राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थान अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण शीर्ष 50 में शामिल हो जाते हैं। राज्य में 115 सरकारी व 18 से अधिक अनुदानित महाविद्यालय एवं 33 विश्वविद्यालय हैं। राज्य और समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा की नीतियों में बदलाव कर उनको लागू करने का काम किया जाए ताकि भविष्य सुनहरा व इतिहास गौरवशाली हो सके।

मूलशब्द: उच्च शिक्षण संस्थाएं, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, अनुदानित महाविद्यालय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

प्रस्तावना

किसी भी शिक्षण संस्थान के मुख्यतः तीन अंग होते हैं— शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनुष्य को उदार, चरित्रवान, विद्वान और विचारवान बनाने के साथ-साथ उसमें नैतिकता, समाज और राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्य और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था की भावना का संचार करती है। उत्तराखण्ड की मानव संसाधन क्षमता को पूर्ण रूप से समानता और समावेशिता के साथ उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में लगाना मुख्य उद्देश्य है। उत्तर-प्रदेश से अलग के पश्चात् पिछले 21 वर्षों में राज्य ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उत्तर-प्रदेश से अलग होने के बाद राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 10 भी नहीं थी, वहीं अब उनकी संख्या 33 के पार पहुंच चुकी है। महाविद्यालयों की संख्या 50 से भी कम और अब 115 सरकारी व 18 से अधिक अनुदानित महाविद्यालय और विद्यार्थियों की संख्या लगभग डेढ़ लाख के आस-पास है। यदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी व्यावहारिकता पर विचार किया जाए तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी संख्या प्रत्येक वर्ष तैयार करती जा रही है। हमारे इन उच्च संस्थानों के छात्र देश, समाज और उनकी समस्याओं से कटे हुए हैं उच्च शिक्षा की व्यवस्था में ऐसे बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है शिक्षा का सही उपयोग हम अपने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कर सकें। आज स्थिति यह है कि सिर्फ वही माता पिता अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के बाद कॉलेज भेज पाते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। गरीबी से ज्यादा बड़ा कारण गुणात्मकता का मुद्दा है।

उत्तराखण्ड की समस्या केवल उच्च शिक्षा का कम आकड़ा ही नहीं है, बल्कि इसकी गुणात्मकता और एकरूपता का भी है। राज्य के उच्च शिक्षा संस्थान जिस तरह डिग्रियां दे रहे हैं, उनमें

कई विसंगतियां हैं। अधिकांश महाविद्यालयों में सुनियोजित शिक्षण व्यवस्था का अभाव है। अनेक कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। असल में कमजोर स्कूल व्यवस्था ही उच्च शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का मुख्य कारण है। उत्तराखण्ड की भौगोलिक आकृति अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग होना भी इसका एक कारण हो सकता है।

भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowledge Commission) ने 2020 तक 30 प्रतिशत लोगों को विश्वविद्यालय तक लाने के लिए अगले 10 वर्ष में देश में 1500 विश्वविद्यालय और करीब 45 हजार कॉलेज खोलने की सिफारिश की है। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति माननीय प्रणव मुखर्जी ने एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि— "हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जहां युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा मिले। उन्होंने छात्रों में आत्मचेतना, संवेदनशीलता, मौलिक सोच विकसित करने और प्रभावशाली संवाद, समस्या समाधान व अंतर्व्यक्तिक संबंध की दक्षता बढ़ाने की जरूरत हैं। " हम सभी को अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा तभी उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर हो पाएगी। पाठ्यक्रम की योजना, पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन एवं पाठ्यक्रम का मूल्यांकन अलग-अलग कार्य होते हुए भी इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक के भी गतिहीन होने से पाठ्यक्रम का निर्धारित उद्देश्य समग्रता में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन जरूरी है तथा इसमें व्याप्त विमगतियों को दूर कर दोनों क्षेत्रों को एक-दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर संचालित किये जाने की जरूरत है।

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की वर्तमान चुनौतियाँ

उच्च शिक्षा की स्थिति बहेतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कदम भी उठाए हैं, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही है। योजनाएं बनाना और उनका पालन करवाना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और सरकार का काम है परन्तु सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करने में निरंतर विफल रही है। हमारे शिक्षण संस्थानों के सामने भी कई तरह की सामरिक और सामाजिक चुनौतियाँ हैं। भारत के श्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में उत्तराखण्ड न काफी पीछे है, उत्तराखण्ड के पास जनसंख्या के अनुपात में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी नहीं है और साथ ही इनमें शिक्षकों एवं आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। इसलिए आज भी यह सकल नामांकन अनुपात के अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। एक तरफ कक्षा में क्षमता से अधिक संख्या, प्रयोगशालाओं की कमी, लगभग सभी प्रमुख संस्थानों में चालीस प्रतिशत शिक्षकों की कमी और ऊपर से रोज-रोज बढ़ते राजनीतिक दबाव आदि। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखण्ड की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था भारत में कई प्रदेशों से अबल दर्जे पर आती है लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता की बात है भारत के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में उत्तराखण्ड का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। हाल ही में एक सर्वे में सामने आया है कि देश के अधिकांश प्रदेशों की राज्य सरकारों की उच्च शिक्षा में कोई खास रुचि नहीं है और वे इसका वित्तीय भार नहीं उठाना चाह रही है। इसी कारण अनेक प्रदेशों में यू.जी.सी. से स्वीकृत पदों को राज्य सरकार की सहमति नहीं मिली और वे समाप्त हो गए। सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के पद भरे नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह अंशकालिक अध्यापकों, गैस्ट फ़ैकल्टी, शोध-छात्रों से काम चलाया जा रहा है। उत्तराखण्ड की बढ़ती जनसंख्या और उसमें युवा वर्ग के अनुपात को देखते हुए अगले 10-12 साल में उच्च शिक्षा पाने वाले युवाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिनके लिए हमारे पास आवश्यक शैक्षणिक व्यवस्था और संसाधनों की स्पष्ट और सार्थक योजना नहीं है। प्रवेश परीक्षा से लेकर अंतिम परीक्षा तक कामयाबी के लिए सोच-विचार कम और रटना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। उत्तराखण्ड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के फ़ैकल्टी संयोजन और छात्र निकाय में उत्तराखण्ड की असाधारण विविधता झलकती है। इससे भी अच्छी बात तो यह है कि उनका एक बहुत ही अलग प्रकार का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या है, जिससे उनके शैक्षणिक विकास में वृद्धि होती है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उच्च संसाधनों की कमी हमेशा से बनी रही है। एक तो समूचे उत्तराखण्ड के अंदर छात्र-शिक्षक अनुपात इतना असंतुलित है कि सोचकर ही स्थिति भयावह लगती है। उत्तराखण्ड शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी का आलम ये है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद् (नैक) का शाधे बताता है कि इस उत्तराखण्ड के कई फ़ीसदी कॉलेजों एवं कई फ़ीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमजोर है। कई विश्वविद्यालयों में पिछले कई सालों से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराना पाठ्यक्रम आरे जमीनी हकीकतों से दूर शिक्षक उच्च शिक्षा को मारने के लिए काफी हैं। यह निराशावादी माहौल उच्च शिक्षा केन्द्रों को राष्ट्रीय स्थान दिलाने में असफल हो रहा है और उच्च शिक्षा केवल अर्ध शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है।

उच्च शिक्षा के तीन निर्धारित उद्देश्य हैं शिक्षण, शोध एवं विस्तार कार्य और इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम पाठ्यक्रम होता है। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु कोठारी आयोग, प्रो. यशपाल कमेटी आदि का गठन हुआ और रिपोर्टें (Reports) भी आयी। इसके आधार पर 1986 में रोजगारोन्मुखी नयी शिक्षा नीति भी लायी

गयी, परन्तु आज भी हम एक अदद मूल्यपरक शिक्षा नीति की बाट देख रहे हैं।

वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (एनसीएचईआर) एक अच्छा प्रयास है, परन्तु डर यही है कि यह भी कहीं नौकरशाही संस्कृति में फँसकर न रह जाए, जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब तक आड़े आती रही है। प्रो. यशपाल का मानना है कि "जिन शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो न तो शिक्षा का भला कर पाते हैं और न समाज का। अकादमिक प्रदर्शन सूची (एपीआई) के लागू होने के बाद प्राध्यापकों की पदोन्नति में एपीआई की गणना हो रही है और इसके चलते आजकल शिक्षा संस्थानों में हम शोध, संगोष्ठी और प्रकाशन की तत्वहीन मारामारी का अदभुत नजारा देखने को बाध्य हो रहे हैं। गुणहीन शोध पत्रिकाओं की भीड़ लग रही है। शोध-प्रकाशन पर अतिरिक्त बल देने का खमियाजा यह है कि गली-गली से शोध की पत्रिकाएं छप रही हैं और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन पर अधिक समय देने के कारण निश्चय ही कक्षा-शिक्षण भी प्रभावित हुआ है। इस क्रम में यूजीसी द्वारा प्रेषित शोध-पत्रिकाओं की सूची भी अवैज्ञानिक एवं अधूरी-सी है। शोध में नकल और चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा के वैश्वीकरण के इस दारै में महँगे कोचिंग संस्थान, किताबों की बढ़ती कीमत, डीम्ड वि.वि. और छात्रों में सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की एक आम अवधारणा का पनपना आज की अहम उच्च शैक्षिक चुनौतियाँ हैं।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझाव-

उत्तराखण्ड के उच्च शिक्षा मंत्री श्री धनसिंह रावत जी ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की जवाबदेही स्थापित करने पर जोर दिया है। आजकल राज्य में उच्च शिक्षा की कमियों को दूर कर उसमें गुणवत्ता लाने की चर्चा बड़े जोरों पर है। इसके लिए अनेक स्तरों पर तरह-तरह के उपाय किये जाने की आवश्यकता है -

1. आज के समय विभिन्न सामरिक और सामाजिक चुनौतियों के उन्मूलन में विज्ञान की प्रभावी भूमिका है। उच्च शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यावसायिकता की अपेक्षा गुणात्मकता, प्रतिस्पर्धा, समर्पण को महत्व दिया जाना चाहिए।
2. उत्तराखण्ड में वैज्ञानिक शोधों पर खर्च को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा नीति में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा में शोध कार्य के लिए संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए। वैज्ञानिक शोधों पर होने वाला खर्च एक तरह से निवेश है, जिससे हमें कई तरह के प्रतिफल मिलते हैं।
3. किसी भी संस्थान की सफलता और विफलता शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम पर निर्भर होती हैं। हमें इन कड़ियों की भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा तभी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आ पाएगा।
4. यदि सरकार द्वारा उन सरकारी कॉलेजों को अतिरिक्त धन एवं सुविधाएं दी जाती हैं जहां प्राफेसर्स का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है तथा जहां प्राफेसर ठेके पर रखे गए हैं। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को अनुदान तब ही मिलना चाहिए जब प्राफेसर्स का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा तथा किसी स्वतंत्र बाहरी संस्था द्वारा कराया जाए।
5. हर वर्ष हजारों की संख्या में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारक निकलते हैं लेकिन राजेगार परकता मात्र 10 प्रतिशत है। आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियों में नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षित युवाओं की दिशा को सही जगह पर ले जाया जाए, उन्हें राजेगार परक बनाया जाना जरूरी है।

6. शिक्षकों और विद्यार्थियों की स्वायत्तता को बहुत सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही बड़ा कार्य संभव है। विश्वविद्यालयों के बोझिल वातावरण का निस्तारण कर उसे सुरुचिपूर्ण, हल्का तथा विचार प्रधान बनाना चाहिए। परिसर में बढ़ती हिंसा और दुर्व्यवहार के पीछे आत्मीय संबंधों का अभाव है। यदि यहां पर एक पारिवारिक वातावरण विकसित किया जा सके तो अनेक अप्रिय प्रसंग घटित ही नहीं होंगे।
7. उच्च शिक्षा अधिक प्रभावी, चुस्त, गतिशील, लचीली और अधिक विभिन्नताओं सहित होनी चाहिए। अतः शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम एवं सुविधाओं को समयानुकूल तथा बाजारोन्मुखी बनाया जाए और शिक्षकों के लिए सतत प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता विकास के लिए कानून बनाया जाए।
8. उत्तराखण्ड युवाओं का राज्य है। मके इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अहम योजनाओं को सफल बनाना है तो इसके लिए युवाओं को सही राह दिखानी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारे छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा दी जाए।
9. विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये और प्राफेसर्स की पदोन्नति को ऑनलाइन कोर्स बनाने से जोड़ दिया जाए। चॉक और ब्लैक बोर्ड के जमाने को भुला कर शिक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।
10. स्नातक स्तर और उससे ऊपर हर क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित किया जाए। कम सरकारी सहायता पाने या नहीं पाने वाले शिक्षण संस्थानों के संचालन तथा पाठ्यक्रम चयन में कल्पनाशीलता की स्वतन्त्रता दी जाए।
11. कमजोर वर्ग के योग्य विद्यार्थियों को इन उच्च शिक्षण संस्थानों में शुल्कों में पूरी छूट मिलनी चाहिए। इन संस्थानों में प्रवेश का आधार केवल 'मैरिट' ही रहना चाहिए।
12. सरकार को समय-समय पर अपनी लागू योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कर उनमें बदलाव करने की भी जरूरत है। शिक्षकों के व्यावसायिक उत्थान के लिए लागू किये गये कार्यक्रम जैसे ओरिएंटेशन कार्स, रिफ्रेशर कार्स आदि की समीक्षा भी जरूरी है। संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण कार्य की प्रभावशीलता की नियमित जांच होनी चाहिए।
13. उच्च शिक्षा हेतु सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा के संस्थानों की मदद करने, उन्हें कोष प्रदान करने, विद्यार्थियों के कर्ज दिलाने में वित्तीय गारण्टी देने, पाठ्यक्रम तथा उनकी गुणवत्ता में एकरूपता लाने तथा शैक्षिक विकास योजना बनाने तक सीमित की जाए।
14. ज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों के प्रति उत्सुकता ही किसी विश्वविद्यालय को प्रासंगिक बनाए रख सकती है। इसके लिए पाठ्यक्रमों में समयानुकूल बदलाव आवश्यक है। इसके लिए प्रतिभाशाली विद्वानों, चिंतकों तथा विषय पर गहरी पकड़ रखने वालों को जोड़े रखना चाहिए। रचनात्मक और कल्पनाशील अध्यापकों को अवश्य स्थान देना चाहिए।
15. ज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों के प्रति उत्सुकता ही किसी विश्वविद्यालय को प्रासंगिक बनाए रख सकती है। विश्वविद्यालयों में विचारों की गहमा-गहमी और पारंपरिक संवाद बना रहना चाहिए। विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक संस्कृति का विकास करना चाहिए, जिससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। बेहतर होगा कि परंपरा और नई दृष्टि का मेल रखा जाए।
16. उच्च शिक्षा में ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बेहद सक्रिय और ऊर्जा से परिपूर्ण हो। मानविकी के विषयों में तर्कणा शक्ति, संवेदन, प्रेक्षण, विवेचन की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

निष्कर्ष

इस समय उत्तराखण्ड की लगभग आधी आबादी युवा है। अगर इन्हें ज्ञान और हुनर से लैस कर दिया जाए तो ये अपने बूते पर उत्तराखण्ड का सुनहरा भविष्य लिख जा सकता है। उत्तराखण्ड का यदि विकसित राज्य बनना है तो उसके लिए पढ़े-लिखे तथा दक्ष कर्मियों की जरूरत है। हमें काफी बड़ी संख्या में इनकी जरूरत और इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सख्त परिवर्तनों की जरूरत है। शैक्षिक संस्थान वस्तु नहीं पैदा करते वे मनुष्य रचते हैं और ज्ञान के द्वारा उसका परिष्कार और परिमार्जन करते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम किस तरह के मनुष्य की परिकल्पना कर रहे हैं? हर शिक्षा संस्था अपनी शक्ति और विशिष्टता के साथ उन क्षेत्रों को रेखांकित करे, जिनमें प्रामाणिक रूप से उसके द्वारा योगदान संभव है। देश की शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षा के प्रति दृष्टि में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकारें और शिक्षा-विशेषज्ञ अपेक्षित शैक्षणिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठायेगें। हमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली को बदल कर रोजगारपरक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो जिससे नवीनता और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले। भारत को अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए स्वयं ही पहल करनी होगी, विदेशी संस्थान तो इसमें महज सहयोग भर कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. एमएचआरडी. एनुअल रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन, गवरमेंट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 2016
2. सिंह, आर. पी. ऑन ऑपनिंग अ 'वर्ल्ड' क्लास युनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी न्यूज, नई दिल्ली, 2010:48(37):13-19
3. Singh JD. Higher Education in India- Issues, Challenges and Suggestion. In Higher Education. Germany: LAMBERT Academic Publishing, 2011, 93-103.
4. <https://he.uk.gov.in>